UPEW010037252020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी(पी0ए0)एक्ट कक्ष सं02,इटावा।

सत्र वाद सं0 776/2020

हेमलता बनाम अमर सिंह आदि

दि0–04.03.2021

पत्रावली आदेशार्थ हेतु पेश हुयी। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना गया।

मैनें पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

परिवाद पत्र में किये गये कथनों को समर्थित करते हुये परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0संहिता में कहा है कि अमर सिंह यादव ने मेरे पति को दिनांक 15.01.2020 को कहा कि मेहतर होकर मेरी गली से क्यों आते हो। शाम के 7.30बजे अमर सिंह यादव,सर्वेश,सतेन्द्र मेरे घर पर घुस आये,कहा कि मेरे खिलाफ शिकायत क्यों किया। गन्दी–गन्दी गालियां देते हुए छेड़खानी किया,हाथ मेरे पकड़कर कपड़े उतार दिए। मेरी पुत्री रोशनी आयी तो उसे मारपीट कर सोने की चैन,अंगूठी,40,000/–रू0 उठा ले गये तभी पति आ गये तो उन्हें भी धमकी दिया कि साले मेहतर थाने में शिकायत किया है,मार देंगे। थाने गया 100 नम्बर पर शिकायत की,सुनवाई नहीं हुई।

परिवादिनी की ओर से धारा 202दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित साक्षीगण सी0डब्लू0–1 श्रीमती रोशनी एवं सी0डब्लू0–2 बिहारीलाल ने भी परिवादिनी के उक्त कथन को अपने सशपथ बयान से समर्थित किया है और स्पष्टतः प्रस्तावित उपरोक्त अभियुक्तगण की भूमिका को स्पष्ट किया है।

परिवादिनी के बयान अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0संहिता व साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा–202 दं0प्र0संहिता में अभियुक्तगण के द्वारा उसके साथ मकान में घुसकर मारपीट करना,गाली देना,जान से मारने की धमकी देना,उसकी लज्जा भंग करना व लूट करना तथा जाति सूचक शब्द से सम्बोधित करना अभिकथित है।

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत किये गये सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण अमर सिंह यादव,सर्वेश व सतेन्द्र के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा–452,323, 504, 354ख, 506,392 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(आर) व (एस) एससी/ एसटी (पी.ए.) एक्ट का आपराधिक मामला बनता हुआ पाया जाता है। अतः उन्हें उक्त अपराध में विचारण हेतु तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण अमर सिंह यादव,सर्वेश,सतेन्द्र को धारा–452,323,504,354ख,506,392 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(आर) व (एस) एससी/एसटी (पी.ए.) एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु दिनांक–**06.04.2021** के लिये समन द्वारा तलब किया जाये । परिवादिनी धारा–204 दं0प्र0संहिता के अनुसार यथेष्ठ पैरवी अन्दर 10 दिन करे।

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी(पी0ए0)एक्ट
न्यायालय,कक्ष संख्या–2,इटावा।
04.03.2021

Digitally signed by Avdhesh Kumar
Date: 2021.03.04 16:00:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court